(TO BE) PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(ii) 0.3.6.1972

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 25th March, 1972.

## MOTIFICATION

- of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the appropriate Government under -
  - (i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except those of the Central Government under the provisos to subsection (1) of section 55; and
  - (ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,

shall also be exercised and discharged by the Administrator of the Union territory of Arunachal Pradesh within that Union territory.

Mo.F.2/2/72-UIIJ

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारस स्रकार

नई दिल्ली-। ता0 25-3-1972

का0 आ0 1302 राष्ट्रपति, सीवधान के अनुस्केद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में सतद्द्वारा निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन रहते हुए तथा और आगे आदेशों तक -भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का ।) की धारा 55 की उपधारा

(1) के परनुकों के अधीन केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों के सिवाय, और

(ii) भूमि अर्जन (कस्पनी) नियम, 1963 के अधीन, समुचित सरकार की शक्तियाँ और कृत्य, अरूणाचल प्रदेश सँघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा, भी उस सँघ राज्य क्षेत्र के बीतर, प्रयुक्त की जाएँगी और निर्वरन किए जाएँगे।

( फाo सीo 2/2/72-यू. टी · एल · ) एक अगर ० सम्बद्ध । ( एम० आर० सम्बद्ध ) अवर सचिव, शारत सरकार ।

To The General Manager, Government of India Press, Main Wing, NEW DELHI.